



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 2806/SEIAA/2022

Date: 12/11/22

प्रति,


मेसर्स सियराम सरकार ओर्स,
संचालक श्रीमती समिता नीखरा,
फ्लैट नम्बर 301, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 07, हरिओर कॉलोनी, मुरार,
जिला ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्र. 2141/2014 : परियोजना प्रस्तावक श्री आलोक सक्सेना निवासी- जवाहर रोड़, नौगाँव, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 4.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 53378 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 119, ग्राम लहेरा, तहसील -छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स सियराम सरकार ओर्स, संचालक श्रीमती समिता नीखरा, फ्लैट नम्बर 301, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 07, हरिओर कॉलोनी, मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 696 वी बैठक दिनांक 10.12.2021 को चर्चा किया गया एवं यह अभिलिखित किया गया

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधानों के परिपालन में प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार एवं एसईआईए में ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी सहित प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति को हस्तांतरण किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार आपको सूचित किया जाता है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार एवं SEIAA में ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी प्रस्तुत करें। जिससे पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण की कार्यवाही की जा सके।



(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

पृ.क्र. 2807 /SEIAA/2022

दिनांक - 12/11/22

प्रतिलिपि :-

1. खनि अधिकारी जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ।


प्रभारी अधिकारी

५/